



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232251  
CG-DL-E-30122021-232251

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]  
No. 729]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

**सा.का.नि. 888(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11), धारा 124 की उपधारा (6) और धारा 236 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), तीसरा संशोधन, नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, के, नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(9) ऐसे डी-मेट खाते के शेयर का दावेदार को उसके प्राधिकरण को संपर्क करने पर या उप-नियम (10), (11) और (11क) के अनुसार अंतरित करने के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अंतरण या निपटान नहीं किया जाएगा।”

(ii) उप-नियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(11क) धारा 236 के अधीन शेयरों के क्रय का कोई आवेदन कंपनी के माध्यम से प्राप्त होता है तो उक्त धारा 236 की उप-धारा 5 के अधीन प्रदत्त प्रक्रियाओं के अनुसार अल्पसंख्यक शेयरधारकों की ओर से प्राधिकरण कंपनी से वह राशि जिसके वे हकदार हैं, प्राप्त कर सकेगा और इस राशि को निधि में जमा करेगा और ऐसी प्रक्रिया के लिए एक अलग खाता रखा जाएगा: परन्तु प्राधिकरण ऐसे शेयरधारकों की ओर से धन की ऐसी प्राप्ति से पहले यह सत्यापित करेगा कि अधिनियम की सुसंगत धारा और उस पर बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त शर्तों को पूरा किया गया है और कंपनी से निम्नलिखित पर एक रिपोर्ट की भी मांग करेगा, अर्थात्:-

- (क) क्या अर्जनकर्ता, जिसे प्राधिकरण द्वारा धारित शेयर अंतरित किए जाएँगे, धारा 236 की अपेक्षाओं को पूरा करता है;
- (ख) क्या शेयरों का मूल्यांकन धारा 236 की उप-धारा (2) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है; और
- (ग) अन्य कोई सुसंगत सूचना:

परन्तु और यह कि कंपनी किसी भी विवाद या अभियोग के मामले में, सभी परिस्थितियों में प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी और प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शेयरधारक या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व जिसके कारण कोई भी मुकदमा अथवा शिकायत उत्पन्न हो, के लिए क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी नहीं होगा;

परन्तु यह भी कि धारा 124 की उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकरण से ऐसे शेयरों के अंतरण का दावा करने वाला कोई दावेदार, केवल अल्पसंख्यक शेयरधारक की ओर से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि को बिना किसी ब्याज के पाने का हकदार होगा”;

(iii) उप-नियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(13क) उप-नियम (11क) के अधीन कंपनियों द्वारा निधि में जमा की जाने वाली कोई भी राशि पंजाब नेशनल बैंक के आईईपीएफ प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट खाते में प्रेषित की जाएगी और उसके ब्यौरे यथास्थिति प्रेषण की तारीख से तीस दिन के भीतर या विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) तीसरा संशोधन नियम, 2021 के प्रवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रपत्र सं. आईईपीएफ-7 में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।”।

[फा. सं. 05/2/2020-आईईपीएफ]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 की सा.का.नि. 1267(अ), सा.का.नि. 472(अ) तारीख 22.05.2018, सा.का.नि. 343(अ) तारीख 01 मई, 2019, सा.का.नि. 571(अ) तारीख 14 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 396(अ) तारीख 9 जून, 2021 और सा.का.नि. 785(अ) तारीख 09 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

**G.S.R. 888(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125, sub-section (6) of section 124 and section 236 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Third Amendment, Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, in rule 6,-

(i) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(9) The shares held in such DEMAT account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rules (10), (11) and (11A).”;

(ii) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(11A) In case an application for purchase of shares under section 236 is received through the company, the Authority may receive the amount entitled on behalf of the minority shareholders from the company as per procedures provided under sub-section 5 of the said section 236 and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds:

Provided that Authority before such receipt of money on behalf of such shareholders shall verify that the conditions provided under the relevant section of the Act and rules framed thereunder have been satisfied and shall also call a report from the company on the following, namely:-

(a) whether the acquirer to whom the shares held by the Authority would be transferred has fulfilled the requirements of section 236;

(b) whether the shares have been valued in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 236 and the rules made thereunder; and

(c) any other relevant information:

Provided further that the company shall be liable under all circumstances whatsoever to indemnify the Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated and the Authority shall not be liable to indemnify the minority shareholder or the Company or any other person for any liability arising, leading to any litigation or complaint arising thereof:

Provided also that any claimant entitled to claim transfer of such shares from the Authority under sub-section (6) of section 124 shall only be entitled to the amount received by the Authority on behalf of the minority shareholder without any interest thereon.”;

(iii) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(13A) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under sub-rule (11A) shall be remitted into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank and the details thereof shall be furnished to the Authority in Form No. IEPF-7 within thirty days from the date of remittance or within thirty days from the date of commencement of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Third Amendment, Rules, 2021, as the case may be.”.

[F. No. 05/2/2020-IEPF]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 854 (E), dated the 5<sup>th</sup> September, 2016 and amended *vide* notification numbers G.S.R. 178(E) dated the 28<sup>th</sup> February, 2017, G.S.R. 1267 (E) dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, G.S.R. 472 (E) dated the 22<sup>nd</sup> May, 2018, G.S.R. 343(E) dated the 1<sup>st</sup> May, 2019, G.S.R. 571(E) dated the 14<sup>th</sup> August, 2019, G.S.R. 396(E) dated the 09<sup>th</sup> June, 2021 and G.S.R. 785(E) dated the 09<sup>th</sup> November, 2021.